

# THE JHARKHAND GAZETTE

## EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

29 Baishakh, 1942 (S)

No. 211

Ranchi, Tuesday, 19th May, 2020

#### **COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----

#### **NOTIFICATION**

19th May, 2020

Notification No. -01/2020 - State Tax(Rate)

- **S.O. No.21 Dated19**<sup>th</sup> **May, 2020--** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:- In the said notification. -
  - (a) in Schedule II 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;
  - (b) in Schedule IV 14%, for S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -

"228.	Any chapter	Lottery".

2. This notification shall be deemed to be effective from 1<sup>st</sup> day of March, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 02/ 2020] By the order of the Governor of Jharkhand

Vandana Dadel

Secretary

**Note:** - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 and last amended by Notification No. 27/2019-State Tax(Rate) dated 11<sup>th</sup> March, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 13, dated the 11<sup>th</sup> March, 2020.

#### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 19 मई, 2020

#### अधिसूचना सं0. 01/2020- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 21 दिनांक 19 मई, 2020-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एततद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II 6% में, क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।
  - (ख) अनुसूची IV 14% में, क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

#### सारणी

"228	कोई भी अध्याय	लॉट्री".
------	---------------	----------

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/02/2020] झारखंड राज्यपाल के आदेश से

### वंदना दादेल

सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 11 मार्च, 2020, जिसे एस. ओ. सं. 13, दिनांक 11 मार्च, 2020 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के दवारा संशोधन किया गया था।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 211 -- 50